

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, गोला (रामगढ़)।
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 01/2021-22

विज्ञापनदाता का नाम	:-	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला
परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि	:-	दिनांक 31.08.2021 एवं 01.09.2021 प्रातः 11:00 बजे से 4:00 बजे अपराहन् तक
निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:-	दिनांक 02.09.2021 प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे अपराहन् तक
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:-	दिनांक 02.09.2021 अपराहन् 3:30 बजे से समाप्ति तक
परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	:-	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, का कार्यालय गोला।
निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	:-	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, का सभा कक्ष, गोला।

ग्रुप	क्रम	प्रखण्ड	पंचायत	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	कुल प्राक्कलित राशि	अग्रधन राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
क	1	गोला	उपरबरगा	नेमरा ग्राम के नेमरा टोला उपस्वास्थ्य केन्द्र के सामने सोलर जल मिनार	478610 / -	957220 / -	19200 / -	1500 / -	45 दिन
	2		गोला	लाल कृष्ण सोनामति मध्य विद्यालय, गोला के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -				
ख	1	गोला	हुप्पु	म0 वि0 हुप्पु के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -	957220 / -	19200 / -	1500 / -	45 दिन
	2		संग्रामपुर	प्राथमिक विद्यालय, हुल्लु के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -				
ग	1	गोला	साड़म	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, साड़म टोला के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -	957220 / -	19200 / -	1500 / -	45 दिन
	2		पुरबडीह	प्राथमिक विद्यालय, बारघुटु के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -				

घ	1	गोला	पुरबडीह	प्राथमिक विद्यालय, बाघाकुदर के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -	957220 / -	19200 / -	1500 / -	45 दिन
	2		सोसोकला	प्राथमिक विद्यालय, हेमतपुर के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -				
ड.	1	गोला	नावाडीह	नव प्राथमिक वि० मुण्डा टोला के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -	957220 / -	19200 / -	1500 / -	45 दिन
	2		बेटुलकला	प्राथमिक विद्यालय, पतरातु के प्रांगण में सोलर आधारित जलमिनार का अधिष्ठापन	478610 / -				

<p>इस निविदा में समुचित श्रेणी के संवेदक ही निविदा में भाग ले सकेंगे, संवेदको का रजिस्ट्रेशन पी०एच०ई०डी० रामगढ़ जिला के ही योग्यताधारी रहेंगे।</p> <p>प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि के आधार पर परिमाण विपत्र मूल्य एवं अग्रधन की राशि प्राक्कलन राशि का दो प्रतिशत होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाई नहीं जाएगी) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला के पदनाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में होगा।</p> <p>प्रमाण-पत्र, जी०एस०टी० चुकता प्रमाण-पत्र, श्रम अनुज्ञप्ति तथा उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र अद्यतन होना चाहिए। अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।</p> <p>अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवाँ निर्गम या तीन/पाँच वर्षीय बैंक सावधि जमा) पासबुक के रूप में देय होगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला के पदनाम से प्रतिज्ञप्त होना अनिवार्य होगा।</p> <p>वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे जिनका विभाग के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है या जो पूर्व में विभाग से आवंटित कोई कार्य अधूरा छोड़कर भाग गए हैं या जिनकी आवंटित कार्य की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं है या काली सूची में हो।</p> <p>निविदा देने के पूर्व निविदा कार्य स्थल की परिस्थिति एवं निर्माण सामग्रीयों की उपलब्धता से संबंधित विषय से भली भांती अवगत हो ले, बाद में इस आधार पर किया गया कोई भी दावा अमान्य होगा।</p> <p>निविदा की अन्य शर्तें निविदा कागजात के साथ संलग्न है जो निविदाकारों का मान्य होगा।</p> <p>परिमाण विपत्र निबंधित व्यक्ति या उसके द्वारा रजिस्टर्ड पावर ऑफ एटोर्नी प्राप्त प्रतिनिधि को ही दिया जाएगा।</p> <p>विशेष परिस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी को एक या सभी कार्यों की निविदा स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।</p> <p>यदि परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि को सार्वजनिक अवकाश हो जाता है तो परिमाण विपत्र की बिक्री अगले कार्य दिवस को ही की जाएगी एवं प्राप्ति उसके अगले कार्य दिवस में की जाएगी।</p> <p>संवेदक को वर्तमान अनुसूचित दर के आधार पर मजदूरों का भूगतान करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए कार्य स्थल पर एक नोटिस बोर्ड पर आवश्यक सूचनाएँ विभाग से प्राप्त कर अंकित करनी होगी।</p> <p>निर्माण कार्यों के लिए संवेदक को अपने कार्य पर प्रत्येक कार्य के लिए गुणवत्ता प्रतिवेदन प्राप्त कर विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।</p>
--

विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपर्क करें या सूचना पट्ट पर देखें।
यदि संवेदक के द्वारा किसी विभाग में कार्य लंबित हो तो वैसे संवेदक को कार्य आवंटन में मान्यता नहीं दी जाएगी।
समान परिमाण की स्थिति में स्थानीय निविदाकार को प्राथमिकता दी जाएगी।
झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 172 (A) (दस प्रतिशत से न्यून निविदाओं के लिए Additional Performance Security के क्रम में परिमाण विपत्र की राशि से – (i) 10 से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा (ii) 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा) के नियम लागू रहेंगे एवं पूर्व के संहिता नियम कृत सभी प्रावधान अवक्रमित समझे जाएंगे।
निविदा में कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
गोला, रामगढ़।

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि:—

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला के वेब साईट पर विज्ञापन अपलोड करने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि:—

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़ को सॉफ्ट कॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 03 (तीन) दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में अविलम्ब प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:—

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:—

उप विकास आयुक्त, रामगढ़ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:—

अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:—

पुलिस अधिक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
गोला, रामगढ़।

विज्ञापनकर्ता का नाम :- श्री संतोष कुमार
पदनाम :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला
पत्रवाहक का नाम :- श्रीकान्त शर्मा
मोबाईल नं० :- 7970409304